दिनांक 23.08.2012 को आहूत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, वरीय संयुक्त निदेशक–सह–कार्यालय प्रधान
श्री राजीव चौहान, संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
श्री उपेन्द्र कुमार दास, संयुक्त निदेशक(कृषि)
श्री अशोक कुमार ठाकुर, संयुक्त निदेशक
श्री अवध किशोर सिन्हा, संयुक्त निदेशक
श्री विजय शंकर, उप निदेशक
श्री शिव नन्दन यादव, उप निदेशक
श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा, उप निदेशक
डा० निर्भय कुमार, उप निदेशक
श्री विष्णु दयाल पंडित, उप निदेशक
श्री राजीव कुमार, उप निदेशक
श्री अर्जुन प्रसाद, उप निदेशक (सां०) पटना प्रमंडल, पटना
श्री सियाराम प्रसाद, उप निदेशक (सां०) मगध प्रमंडल, गया
श्री भास्कर मिश्र, उप निदेशक (सां०) तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत
डा०विनय कुमार, उप निदेशक (सां०)भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
श्री ब्रजेश कुमार त्रिवेदी, उप निदेशक (सां०) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
श्री रतन कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक
श्री उदय प्रसाद सिंह, सहायक निदेशक
श्री मनोरंजन कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक
श्री हरिशचन्द्र शास्त्री, सहायक निदेशक

श्री राजदेव दास, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना/श्री बिन्देश्वर राम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर/श्री सुरेन्द कुमार सुधांशु, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा/श्री शैलेन्द्र कुमार भारती, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/श्री सोमेश्वर प्रसाद, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भभुआ/श्री मुरली मनोहर प्रसाद सिन्हा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया/श्री राधेश्याम दिवाकर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जहानाबाद/श्री राजीव लोचन दूबे, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा/श्री सुनील जी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद/श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/श्री परमेश्वरनाथ तिवारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली/श्री ललिता प्रसाद राम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर/श्री अवधेश प्रसाद,जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पू०चम्पारण/श्री जय किशुन सिंह, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/मो० सद्दाम हुसैन, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,सारण/श्री सुधीर कुमार झा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

दरभंगा/मो०हसनैन अखतर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी/ श्री विनोद मणि झा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्री पदमसेन कुमार सिन्हा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर/ श्री परसनाथ चौधरी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, लखीसराय/श्री गणेश राम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय/श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जमुई/श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया/श्री ब्रज भूषण कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर/ श्री संतोष कुमार सिन्हा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बॉका/श्री संजय कुमार जयसवाल, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ श्री शम्भू प्रसाद यादव, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा/ श्री रामाधार राम, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज/श्री मिथिलेश कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर/श्री अशोक कुमार राय, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, सीतामढ़ी/मो०नौशाद खॉ, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/श्री विनोद कुमार सिंह, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज/श्री परमेश्वर लाल विश्वास, सुपौल/श्री चन्द्र भूषण राय, कनीय सांख्यिकी सहायक, सिवान/श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णिय/श्री सुरेश ठाकुर, कनीय सांख्यिकी सहायक, कटिहार ।

<u>अनुपस्थिति :—</u>

उप निदेशक(सांख्यिकी), पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ / मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ सारण प्रमंडल, सारण एवं कोशी प्रमंडल कोशी।

जिला सांख्यिकी पदाधिकार , भोजपुर/ अरवल/ सीतामढ़ी/ सिवान/गोपालगंज / सुपौल/ पूर्णियॉ/ कटिहार ।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों के अनुपस्थिति के संबंध में पाया गया है कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी स्वयं उपस्थित न हो कर सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/कनीय सांख्यिकी सहायक/संकलक को भाग लेने हेतु प्राधिकृत करतें हैं, जबकि सभी प्रभारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ही उपस्थित होने का निदेश है। इसके वाबजूद भी आज दिनांक 23.08.2012 को राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में, भोजपुर, अरवल, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, पूर्णियॉ,एवं कटिहार के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये है। इनके अतिरिक्त और भी कई पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित हैं, उनसे स्पष्टीकरण की मॉग कर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन प्रशाखा पदाधिकारी—1)

<u>स्थापना :—</u>

<u>विभागीय कार्यवाहीः—</u> जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियॉ के अन्तर्गत श्री नवल किशोर रजक एवं श्री देवेन्द्र सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है। अबतक संचालित विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन निदेशालय में अप्राप्त है, अतः जिला

सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियॉ को निदेशित किया जाता है यथशीघ्र विभागीय कार्यवाही से संदर्भित लंबित प्रतिवेदन निदेशालय में यथाशीघ्र उपलब्ध करावें।

(अनुपालन :— जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियॉ)

जिला सांख्यिकी कार्यालय, नवादा, रोहतास से भी विभागीय कार्यवाही प्रतिवेदन लंबित हैं ।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास का निधन हो चुका हैं अतः डी०डी०ओ० का प्रभार जिला योजना पदाधिकारी को देने के संबंध में समुचित कार्रवाई यथाशीघ्र की जाय। जिस जिला में भी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी का रिक्ति हो वहॉ भी जिला योजना पदाधिकारी को आहरण एवं व्ययन का प्रभार देने के संबंध में निर्णय हेतु यथाशीघ्र संचिका उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :— स्थापना प्रशाखा—1)

<u>सेवान्तलाभ</u> :— जिला सांख्यिकी कार्यलय, खगड़िया में मो० मोकुम्दीन सेवानिवृत कर्मी का अबतक भविष्यनिधि का अंतिम भुगतान नही हो पाया हैं । अतः जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया को निदेशितकिया जाता हैं कि सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्तलाभ का भुगतान यथाशीघ्र कर निदेशालय को अनुपालन प्रतिवेदन भेजे।

(अनुपालन :— प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ स्थापना प्रशाखा 1 एवं 2)

<u>अंकेक्षण :—</u> अंकेक्षण के संबंध में स्थिति पूर्ववत है। इस ओर भी उप निदेशक सांख्यिकी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वे अपने—अपने कार्यालय के संर्दभ में वित्त अंकेक्षण के प्रमंडलीय कार्यालय से सर्म्पक स्थापित कर सभी अपत्तियों के संबंध में पूर्ण विचार विमर्श कर उनके अनुपालन एवं विलोपन के संबंध में कार्यावाई करेंगे। इसके वाद वे मुख्यालय को प्रतिवेदित भी करेंगे।

<u>व्यय विवरणी</u> :— जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं उप निदेशक (सांख्यिकी)को व्यय विवरणी ससमय प्रेषित करने का निदेश दिया गया है। जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा का अप्रील 2012 से ही व्यय विवरणी प्रतिवेदन लंबित है। अतः जिला सांख्यिकी

(अनुपालन जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा)

<u>तकनीकी मामलें :—</u>

<u>लघु सिंचाई गणना</u>

1. चतुर्थ लघु सिंचाई गणना 2006—07 के मानदेय की राशि का आवंटन पत्रांक—10 दिनांक— 07.3.12 द्वारा सभी जिलों को भेजी गयी थी, किन्तु समीक्षा में पाया गया कि अभी तक उपयोगिता प्रमाण—पत्र जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश दिया गया, जिससे की भारत सरकार को सूचना भेजी जा सके।

(अनु०–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

2. चतुर्थ लघु सिंचाई गणना 2006–07 का वित्तीय वर्ष 2011–12 में महालेखाकार (लेखा एवं हक) तथा योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को पत्र निदेशालय का पत्रांक–1407 दिनांक–21.08.2012 को लभ्य कराया गया है। मात्र समस्तीपुर, नवादा, मुजफ्फरपुर एवं अररिया से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है शेष जिलों से प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु उन्हें निदेश दिया गया है कि जिलों से भेजे गये प्रत्यार्पण प्रतिवेदन से मिलान कर लिया जाय एवं तदनुसार की गई कार्रवाई से यथाशीघ्र सूचित किया जाय।

(अनु०–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. पंचम लघु सिंचाई गणना 2011–12 हेतु राजस्व ग्रामों की सूची किशनगंज, सारण, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, शिवहर, रोहतास, सीवान, मुजफ्फरपुर, बांका मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, प० चम्पारण, मधुबनी कटिहार एवं मधेपुरा से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों को प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेज देने का निदेश दिया गया।

(अनु०–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. पंचम लघु सिंचाई गणना कार्यक्रमों के त्वरित संचालन हेतु सम्वन्वय समिति के गठन की सूचना वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, किशनगंज, कटिहार, सारण, शेखपुरा, नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद, समस्तीपुर एवं मुंगेर से प्राप्त हुआ है। शेष जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचना यथाशीघ्र भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा को संशोधित सूचना भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु०–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

5. चतुर्थ लघु सिंचाई गणना 2006–07 में चयनित जिलों के ग्रामों के जाँच के संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज ने बतलाया की उनके द्वारा प्रतिवेदन भेज दिया गया है। मधेपुरा एवं सीवान से प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें यथाशीघ्र भेजवाने का निदेश दिया गया।

(अनु०–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

6. चतुर्थ लघु सिंचाई गणना 2006–07 के वित्तीय 2011–12 में जिन जिलों से आंशिक निकासी की गई है। उनको निदेश दिया गया कि राशि की आवश्यकता के संबंध में यथाशीघ्र प्रतिवेदन भेज दिया जाय। अन्यथा यह समझा जायेगा की उन्हें राशि की आवश्यकता नहीं है।

(अनु०–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

आर्थिक गणना प्रशाखा

1. उप महालेखाकार (सी०ए०) के आंकेक्षित प्रतिवेदन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2007–08 में पंचम आर्थिक गणना में व्यय किये गए 45.923 (पैंतालिस हजार नौ सौ तेइस) रूपये के डी०सी० बिल को महालेखाकार के कार्यालय में समर्पित करने अथवा अवशेष राशि हो तो इसे निदेशालय के जमा शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह आ०एवं व्य० पदाधिकारी।)

2. संक्षिप्त मकान सूची, चार्ज रजिस्टर एवं नजरी नक्शा की छाया प्रति के उठाव कर इसका मिलान करने का तथा अधुरा प्राप्त दस्तावेजों के लिए सीधे जनगणना निदेशालय को पत्र देने तथा उसकी प्रतिलिपि निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. जनगणना निदेशालय द्वारा प्राप्त किये गये दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का दायित्व जिला सांख्यिकी कार्यालय की होगी।

   (अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. मधेपुरा, सहरसा, सारण, भागलपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, एवं पटना से जनगणना–2011 के दस्तावेजों का उठाव फतुहा स्थित गोदाम से नहीं किया गया है, उन्हें निदेश दिया गया कि दस्तावेजों का उठव कर लें तथा निदेशालय को इसकी सूचना अविलम्व दें।

5. छठे आर्थिक गणना के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति के सभी सदस्यों को जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष समन्वय समिति की ओर से भी पत्र के द्वारा को सूचित कर पत्र की एक प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराने का पुनः निदेश दिया गया।

   (अनुपालन–भोजपुर, गया, अरवल, नवादा, सीवान, सीतामढ़ी, पूर्वी–चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सूपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा।)

6. आर्थिक गणना हेतु परिवहन, मोवाइल एवं अन्य के व्यय हेतु शीघ्र ही आवंटन भेजे जा रहे है इस आवंटन से जनगनणा–2011 के दस्तावेजों के फतुहा स्थित गोदाम से उठाव में व्यय किये गये राशि शेष के पश्चात शेष राशि को सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।)

7. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारीयों को निदेश दिया गया कि वे जिलान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी चाजों की संख्या, यदि, मिलिट्री छावनी, तथा रेलवे कॉलनी हो तो गठित चाजों की संख्या अविलम्व निदेशालय को भेजा जाय।

   (अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।)

कृषि सांख्यिकी

1.(क) फसल कटनी प्रयोग :– गरमा मौसम 2011–12 के मूंग, धान एवं मकई कट[illegible] प्रयोग का जिलावार समीक्षा किया गया तथा सम्पादित अनुसूची शीध्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

(ख) असफल कटनी प्रयोग :– रब्बी मौसम 2011–12 के बीमित फसलों की कुछेक अंचलों की सम्पादित अनुसूची गया, भागलपुर, सिवान, बेगुसराय, नालंदा, रोहतास, पू० चम्पारण, अररिया, सहरसा, सुपौल, वैशाली, दरभंगा, अरवल, सारण, जहानाबाद एवं समस्तीपुर जिला से अप्राप्त रहने के कारण बीमा कम्पनी को निर्धारित तिथि को प्रेषित नहीं किया गया।

निदेश दिया गया है कि संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दोषी कर्मियों का नाम एवं मूल पदनाम दिनांक 31.08.2012 तक उपलब्ध करावें।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

(ग) MNAIS योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 के खरीफ मौसम में भदई एवं अगहनी धान का कटनी प्रयोग सकहारिता विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक 3131 दिनांक 19.07.2012 के आलोक में राज्य के पू० चम्पारण , मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी एवं खगड़िया जिला में सम्पादित कराये जायेगें। भदई मकई की इकाई अंचल एवं अगहनी धान फसल की इकाई पंचायत होगी। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारीको अबिलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

(ध) फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण :– फसल कटनी प्रयोग की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार विभागीय एवं गैर विभागीय पदाधिकारियों का निरीक्षण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

2.(क) सामान्य जिन्सवार 2011–12 – भदई सामान्य जिन्सवार 2011–12 अरवल एवं सिवान, अगहनी सामान्य जिन्सवार 2011–12 अरवल, सहरसा एवं अररिया, रब्बी सामान्य जिन्सवार 2011–12 अरवल, खगड़िया, सहरसा, सुपौल एवं अररिया में अबतक लंबित है। निदेश दिया गया है कि दिनांक 31.08.2012 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

(ख) गरमा सामान्य जिन्सवार 2011–12 मू०उ०विवरणी एवं शुद्ध सिंचित विवरणी 2011–12 अधिकांश जिलों में लंबित पाया गया । निदेश दिया गया कि अगली बैठक तक उपलब्ध करा दिया जाय।

(ग) प्रक्षेत्र मूल्य प्रतिवेदन, नेत्रांकन प्रतिवेदन 2011–12 का भी समीक्षा किया गया तथा लंबित प्रतिवेदन शीध्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. द्रत सर्वेक्षण योजना :– कृषि वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक के लिए ग्राम चयन भदई द्रुत अनुमान प्रतिवेदन 2012–12 सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी(कृषि) का मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम का समीक्षा किया गया तथा निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन यथाशीध्र उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. फसल सांख्यिकी सुधार योजना :– कृषि वर्ष 2012–13 हेतु क्षेत्र परिगणना प्रतिदर्श सूची, फसल कटनी प्रयोग निरीक्षण 2.0 की प्रतिदर्श सूची, सादे प्रप्त्रों की उपलब्धता , रब्बी एवं गर्मा मौसम 2011–12 की लंबित अनुसूचियों की समीक्षा कर लंबित प्रतिवेदन/अनुसूचियॉ शीध्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

5. फल–सब्जी :– प्याज, मिरचाई, रब्बी टमाटर, रब्बी गोभी, रब्बी बैगन, रब्बी आलू, आम, लीची, कटहल, अमरूद एवं केला फल कटनी प्रयोग वर्ष 2011–12 की लंबित स्थिति दो जिलों को अवगत कराते हुए लंबित अनुसूचियॉ अगल बैठक के पूर्व उपलब्ध कराये।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

6. भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण :– कृषि वर्ष 2012–13 का ग्राम सूची सभी जिलों को प्रेषित किया जा चुका है। कृषि वर्ष 2011–12 का लंबित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

7. वर्षापात :– दैनिक/मासिक वर्षापात के लंबित प्रतिवदेन की समीक्षा की गयी तथा निदेश दिया गया कि शनिवार एवं रविवार एवं अवकाश के दिनों में भी SMS से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

<u>रान्यास</u>

1. माह जुलाई 2012 तक सर्वेक्षित प्रतिदर्श की भरी गई एक अनुसूचियाँ पटना निरीक्षानालय से अप्राप्त है। अविलम्ब जमा करने का निदेश दिया गया। नालान्दा, भोजपुर, गया, भागलपुर, सरहसा, सिवान, मुजफ्फरपुर एवं सितामढ़ी से ससमय अनुसूचियाँ प्राप्त होने पर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शेष निरीक्षणालयों को ससमय अनुसूचियाँ प्रेषण हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन–रान्यास से संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

2. रान्यास 68वें सत्र से संबंधित रान्यास अन्वेषकों का भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदित करने के पश्चात प्रतिदर्श जिस प्रमंडल/जिला का हों उससे संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक सांख्यिकी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उसकी प्रतिलिपि निश्चित रूप से लभ्य कराने का निदेश दिया गया। इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से अपने आश्वस्थ हों ले कि भ्रमण कार्यक्रम की प्रति

संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रमंडलीय उपनिदेशक को प्रेषित की गई या नहीं।

(अनुपालन—रान्यास से संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

3. सारण निरीक्षणालय से माह जुलाई, 2012 का **MPR ,** एवं भ्रमण कार्यक्रम अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त हुआ। निदेश दिया गया कि निर्धारित अवधि (अनुवर्ती माह की दूसरी तारीख/प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख) तक **E-mail/Fax** से भेजवाने की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन—रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. निदेश के बावजूद अधिकांश जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों के निरीक्षण की स्थिति काफी दयनीय है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया की लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

(अनुपालन— सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

5. निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर होने वाले मासिक बैठक में निश्चित रूप से रान्यास कार्य की समीक्षा की जाय।

(अनुपालन—रान्यास से संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

6. तृतीय रोजगार—बेरोजगार सर्वेक्षण 2012 हेतु जिला स्तर पर दो कनीय सांख्यिकी का नाम नामित कर भेजने का निदेश दिया गया था। उक्त प्रतिवेदन कुछ जिलों से अप्राप्त है अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन— संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

<u>जीवनांक</u>

सर्वप्रथम मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म—मृत्यु) बिहार द्वारा जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रेशन से संबंधित माह जुलाई 2012 तक के लक्ष्य के विरूद्ध निदेशालय में प्राप्त सांख्यिकी भाग के आधार पर प्रमण्डलवार/जिलावार प्रगति की समीक्षा की गई। भागलपुर प्रमण्डल प्रथम, जिला— पश्चिम चम्पारण प्रथम, मुंगेर द्वितीय एवं बक्सर तृतीय स्थान पर रहा। समीक्षा के क्रम में 50% से ऊपर वाले जिला यथा पश्चिम चम्पारण, मुंगेर, बक्सर शेखपुरा एवं पटना के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं संबंधित उप निदेशक(सांख्यिकी) तथा जीवनांक कर्मियों की सराहना की गई। 20% से कम प्राप्ति वाले जिले यथा, शेखपुरा, मधेपुरा एवं अररिया जिनका पिछली बैठक में भी स्थिति यथावत थी के बारे में संयुक्त निदेशक—संह—कार्यालय प्रधान ने समीक्षा के क्रम में निदेश दिया कि उक्त जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के विरूद्ध उच्च पदाधिकारी को सूचित किया जाए। संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) जिनको विगत माह के लम्बित जीवनांक प्रतिवेदन की स्थिति से अवगत कराया गया था, के बारे में सुझाव

आया कि अविलम्ब व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर उक्त जिलों में जीवनांक कार्यो में प्रगति लावें। जीवनांक कार्यो में गुणात्मक सुधार हो इस निमित्त वरीय संयुक्त निदेशक–सह–कार्यालय प्रधान द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बताया गया कि विश्व सांख्यिकी दिवस(20 अक्टूबर 2012) पर वैसे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जिनकी उपलब्धि माह सितम्बर 2012 के लक्ष्य के विरूद्ध 90% हो, उनको Reward तथा जिनकी उपलब्धि 75% से ऊपर एवं 90% से नीचे हो उनको प्रमाण पत्र देने के लिए विभागीय प्रधान सचिव से सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) को निदेश दिया गया साथ ही 25% से कम प्राप्ति वाले जिला पर संज्ञान लेने की बात कही गई। समीक्षा के क्रम में जिला मुजफ्फरपुर में जीवनांक कार्यो में आशातीत प्रगति नहीं होने के संदर्भ में निदेशालय स्तर से जॉच करने पर सहमति बनी। कुल जिला यथा पटना, पूर्णियॉ, शेखपुरा, वैशाली, भालगपुर, नवादा, समस्तीपुर, सारण, सुपौल, मुंगेर, कटिहार एवं मधेपुरा में प्रपत्र–1 एवं 5 की कमी के आलोक में कहा गया कि जीवनांक प्रपत्रों की छपाई कार्य निविदा के तहत बाजार से कराया जा रहा है, परन्तु मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा आशा व्यक्त की गई कि प्राथमिकता के आधार पर उक्त प्रपत्रों का मुद्रण कर अविलम्ब प्रेषण कर दी जाएगी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी नालंदा, किशनगंज, बांका औरंगाबाद एवं सहरसा द्वारा पावर प्वाइंट में प्रादर्शित ऑकड़े में भिन्नता की बात कही गई। उक्त जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सांख्यिकीय भागों के प्रेषण में निदेशालय द्वारा दिए गए प्रपत्रों के सभी स्तम्भों को सही–सही भरकर सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी(जीवनांक)/संबंधित कर्मी स्वयं निदेशालय में आये तो आंकड़ों की भिन्नता स्वतः समाप्त हो सकती है, साथ ही निदेशालय द्वारा तैयार पावर प्वाइंट को निदेशालय के Web Site[dse. bih.nic.in] पर upload करने का निदेश कार्यालय प्रधान ने दिया एवं उक्त के आलोक में प्राप्त आपत्तियों को ~~कार्यालय प्रधान~~ निदेशालय के Email id-[~~jksinha2007@rediffmail.com~~ dir-stat-bih@nic.in] पर भेजी जा सकती है।

समीक्षा के क्रम में श्री प्रियरंजन झा, वरीय परामर्शी सिविल रजिस्ट्रेशन समन्वय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए जीवनांक कार्यो से संबंधित बजट पर विस्तार से चर्चा करने के क्रम में स्पष्ट किया गया कि अभी आंशिक स्वीकृत बजट के तहत जिला में स्थित जीवनांक कार्य सम्पादन किया जाना है। इसके अतिरिक्त शेष बजट शीघ्र ही भेजी जाएगी। पूरे राज्य में आंगनबाड़ी सेविका–सह–उप रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) का प्रशिक्षण 3 अक्टूबर से प्रारम्भ करना प्रस्तावित है, साथ ही जन्म निबंधन अभियान जो कि सरकारी प्राइमरी विद्यालय एवं मध्य विद्यालय के छात्रों से संबंधित है, 1 नवम्बर से 15 नवम्बर के बीच होना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला करने तथा अभियान के प्रबंधन एवं अनुश्रवन में उप निदेशक(सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से भरपूर सहभागिता की अपेक्षा मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा की गई।

जीवनांक संबंधित वार्षिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन धारा 4(4), त्रैमासिक प्रतिवेदन M.C.C.D, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम, निरीक्षण प्रतिवेदन, मासिक प्रतिवेदन(प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में संकलित कर) एवं गोदरेज अलमीरा क्रय संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिश्रव तथा दिवाल लेखन, प्रशिक्षण मद में खर्च की गई राशि का अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, भाड़े पर उपयोग किये गये वाहन प्रगति प्रतिवेदन एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों का फैक्स नं०, मो० नं०– विहित प्रपत्र में समय पर निदेशालय में उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। बैठक में उपस्थित उप निदेशक(सांख्यिकी), जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि ऐसे प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक जिन्होंने प्रशिक्षणोपरांत विभागीय लैपटॉप को प्राप्त किया, उसका उपयोग सरकारी कार्यो में करावें एवं समीक्षात्मक बैठक में Power Presentation कार्यो में भी उपयोग करें। औरंगाबाद, बांका, जहानाबाद, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कैमूर, पश्चिम चम्पारण एवं सिवान जिला द्वारा प्रगति से संबंधित सी०डी० लभ्य कराया गया जो प्रशंसा के पात्र हैं। शेष जिला को अविलम्ब राज्य स्तरीय बैठक में उक्त का अनुपालन करने हेतु निदेश दिया गया। प्राप्त सी०डी० पर टिप्पणी संबंधित जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के यहाँ SMS से भेज दी जाएगी।

मूल्य प्रशाखा

नमक मूल्य प्रतिवेदन

राज्य के 38 जिलों से माहवार नमक मूल्य का संग्रह किया जाता है। नमक मूल्य का प्रतिवेदन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी से प्राप्त होता है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नमक मूल्य का प्रतिवेदन सभी जिलों से नियमित रूप से निदेशालय में प्राप्त नहीं हो रहे है। बैठक में सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला आपूर्त्ति कार्यालय से समन्वय स्थापित कर प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

कृषि पदार्थो का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य

राज्य के 51 केन्द्रों से 56 कृषि पदार्थो का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य का संग्रह किया जाता है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी केन्द्रों से नियमित रूप से प्रतिवेदन निदेशालय में प्राप्त नहीं हो रहे है। इसके अतिरिक्त प्राप्त प्रतिवेदनों में कई त्रुटियाँ पाई गई है यथा–धान के मूल्य में कमी परन्तु संगत चावल का मूल्य यथावत या वृद्धि, सरसों तेल का मूल्य टीन में/लीटर में/किलोग्राम में, केला का मूल्य दर्जन/घौद/किलोग्राम आदि। प्रपत्र में मानक इकाई के अनुरूप ही प्रतिवेदन प्रेषित हो।

बैठक में निदेश दिया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी निदेशालय के मूल्य प्रशाखा में सीधे प्रतिवेदन का नियमित एवं सामयिक प्रेषण सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
(अरवल, शिवहर एवं शेखपुरा को छोड़कर)

औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रतिवेदन

औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1939=100 से संबंधित मूल्य संग्रह का कार्य तीन केन्द्रों यथा–1. पटना सिटी 2. मुजफ्फरपुर एवं 3. डिहरी ऑन सोन से साप्ताहिक रूप में प्राप्त होते हैं। पटना का 11.05.12 से एवं मुजफ्फरपुर का 06.04.12 से प्रतिवेदन अप्राप्त है। डेहरी ऑन सोन का जनवरी 2010 से अब तक प्रतिवेदन लम्बित है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर एवं रोहतास को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन का नियमित एवं सामयिक प्रेषण सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
(मुजफ्फरपुर एवं रोहतास)

वरीय संयुक्त निदेशक
–सह–कार्यालय प्रधान।
e-mail: dir-stat-bih@nic.in

3011

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

ज्ञापांक :स्था०1/वि०3–57/09 /1773 पटना, दिनांक : 04-09-12

प्रतिलिपि :–सभी संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक (मुख्यालय एवं क्षेत्र) सभी सहायक निदेशक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना 1 एवं 2/श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग एवं सभी संबंधित प्रशाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब प्रेषित की जाय तथा आगामी आहूत बैठक में उसकी एक–एक प्रति के साथ भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

वरीय संयुक्त निदेशक
–सह–कार्यालय प्रधान।